क्रमांक 33/13/79-1 जी: एस:

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (सिविल) ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 16 अप्रैल, 1979

विषय : निलम्बित कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में।

महोदय,

निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर सरकार के परिपत्र क्रमांक 3624-जी: एस: 61/4507, दिनांक 21-4-1961 तथा क्रमांक 5598-। जी:एस: -77/32579, दिनांक 10-10-1977 की ओर दिलाऊँ और यह लिखूं की सरकार के कुछ विभागों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या उस सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जो कोर्ट में उसके विरुद्ध चल रहे केस के आधार पर एक वर्ष से ज्यादा समय से निरन्तर निलम्बित चला आ रहा है, के सम्बन्ध में मामला मंत्रीपरिषद् की अनुमति हेतु प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता हैं या नहीं ?

2. सरकार ने विचार उपरांत निर्णय लिया है कि सामान्य केसों की भांति. जो केस न्यायालयों में पेश किये जा चुके हैं/चल रहे हैं, में भी कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बित अवधि को 6 मास से एक वर्ष तक बढ़ाने के लिएं कार्यभारी मन्त्री की अनुमति तथा एक वर्ष से अधिक समय के लिए निलम्बन अवधि को बढ़ाने के लिये मन्त्रीपरिषद् की अनुमति प्राप्त की जाये ।

दूसरे शब्दों में सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन केसों में विभागीय कार्यवाही हो रही हैं, और जो न्यायालयों में भी चल रहे हैं, कार्यभारी मंत्री/मन्त्रीपरिषद् की अनुमति केस की स्थिति अनुसार ही ली जाये ।

भवदीय

हस्ता/-

अवर सचिव सामान्य प्रशासन,

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

उपर्युक्त की एक एक प्रति वित्तायुक्त, राजस्व, हरियाणा । तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाण ।

हस्तः

अवर सचिव सामान्य प्रशासन,

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाण सरकार ।

दिनांक 16-4-79

उपर्युक्त की एक प्रति प्रधान सचिव/मुख्य मन्त्री महोदय को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

तुरन्त

विषय निलम्बित सरक,री कर्णचारियों के मामलों के शीघ्र निपटानं बारे ।

क्या वित्तायुक्त (राजस्व) तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव कृपया उपरोक्त विषय पर सरकार के परिपत्र क्रमांक 25/8/78 जीः एसः, दिनांक 12/4/1978 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. सरकार ने निलम्बित कर्मचारियों/अधिकारियों के मामलों को शीघ्र अति शीघ्र निपटान करने हेतु यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रशासकीय विभाग भविष्य में निलम्बित कर्मचारियों/अधिकारियों के मामलों को जुटकर अनुसरण किया करें ताकि उनके निपटान में देरी को ठीक ढ़ंग से चैक किया जा सके ।

3. उनसे अनुरोध है कि ये अनुदेश सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के नोटिस में दृढ़तापूर्वक पालना हेतु ला दिए जाएं ।

हस्तः/-

उप सचिव सामान्य प्रशासन,

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव तथा ...

Minutes of the meeting of Administrative Secretaries held in the room of Chief Secretary at 12 noon on 3-7-79

The following Administrative Secretaries were present :—

(i) Shri S.D. Bhambri, Chief Secretary.

(ii) Shri S.K. Misra, F.C.-cum-Addl. Chief Secretary.

(iii) Shri Kulwant Singh, Secretary, Deptt. of Coop. etc.

(iv) Shri B.S. Ohja, PSCM.

(v) Shri H.V. Goswami, Secretary, Department of Irrigation & PWD B&R.

(vi) Shri V.K. Sibal, Secy., Department of Industries.

(vii) Shri A. Banerjee, Secretary, Finance.

(viii) Shri Y. Sahni, Secretary, Town and Country Planning Deptt. etc.

(ix) Shri J.D. Gupta, Secretary, Education.

Shri O.P. Gupta, J.L.R. and Shri S.P. Bhatia, DSGA were in attendance.

2. **Cases of suspension**

It was intimated that for the purpose of monitoring these cases by the Chief Secretary, a cell has been created in his office. The Administrative Secretaries will send quarterly information in a proforma to this cell, indicating the status of all cases of suspension of employees. This proforma be sent to them by tomorrow and the first report in the prescribed proforma will be communicated to DSPS by 31-7-1979. The Administrative Secretaries were required to scrutinise each case to be included in the proforma and initiate remedial steps.

S.D. Bhambri
Chief Secretary to Govt., Haryana.

Proforma showing the particulars of the officials/officers who are under suspension

Name of the Department———————————.

Sr. No.	Name of the officials/officers under suspension	Designation	Date when suspended	Charges against him (in brief)	Present stage of the case	Reasons for delay if any	Approximate date by which the case is likely to be finalised
1	2	3	4	5	6	7	8